05/04/22 पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी की ओर से वकील श्री सुरेश कुमार सैनी मय वकालतनामा उप०। अप्रार्थीगण तामील के बावजूद सम्यक तामील अनु०. अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। बहस प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 11.4.22 को पेश हो।

11/04/22 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावें। बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण सहखातेदार दर्ज है। अतः अन्य सह खातेदार एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम गुवार स्थित भूमि खसरा नंबर 297 रकबा 0.05 है0 खसरा की प्रार्थी एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान 23.06.2019 पत्थरगढ़ी की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

11/04/22

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना